MOST- N.O. vidhansabha
URGENT पालना हेतु आदेश प्रेषित किये जावें। चर्चा करें

क्रमांक 149
दिनांक 12/3/21

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 18 (1) शिक्षा–4 / 2021

जयपुर, दिनांक : 12.03.2021

आदेश

15वीं विधान सभा के षष्ठम (बजट) सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की वर्ष 2021–22 के लिये अनुदान की मांगे मंगलवार, दिनांक 16.03.2021 को विधान सभा में विचारार्थ प्रस्तुत की जावेगी। अनुदान की मांगों पर विधान सभा में चर्चा के पश्चात् माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रत्युत्तर दिया जायेगा। उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों का तथ्यात्मक टिप्पणी व सुसंगत सूचना के साथ प्रत्युत्तर अविलम्ब माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना है।

अतः उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित कार्यालय आगामी 15 व 16 मार्च, 2021 को अथवा अनुदान की मागों पर चर्चा समाप्त होने तक पूर्णतः खुले रहेंगे एवं कोई भी अधिकारी / कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति / अनुमति के दिनांक 15–16 मार्च, 2021 को किसी प्रकार के अवकाश पर नहीं रहेंगे एवं अपना मोबाईल व कार्यालय का बेसिक लैण्डलाईन नम्बर सहित चालू अवस्था / ऑन ही रखेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौति प्रस्ताव का उत्तर / तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल अधिकतम एक घंटे की अवधि में इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलबध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सूचना सम्प्रेषण में किसी प्रकार के विलम्ब तथा अन्यथा की स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

अतः विगत सत्र में आपके सहयोग को मध्यनजर रखते हुए इंस सत्र में आपसे अपेक्षित सकारात्मक सहयोग की आशा की जाती है।

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कुलसचिव, समस्त राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय राजस्थान।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Estt I 332 12.3.21

P.T.O

2

अति आवश्यक

क्रमांकः– एफ–9 / वि.स.प्र. / 2021 / 2736-2836 दिनांकः 12/3/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य को लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग(ग्रुप–4), राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
2. प्राचार्य,महाराजा महाविद्यालय / महारानी महाविद्यालय / वाणिज्य महाविद्यालय / राजस्थान महाविद्यालय / पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय (प्रातः / सायं), रा.वि.वि.,जयपुर
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. मुख्य कुलानुशासक / मुख्य आवासाधिकारी / आवासाधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि.,जयपुर।
5. परीक्षा नियन्त्रक / उप कुलसचिव परीक्षा / गोपनीय / विविध को निर्देश है कि उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर स्वयं जिम्मेदार होगें।
6. उप कुलसचिव संस्थापन–प्रथम / द्वितीय / सा.प्र. / शैक्षणिक / पी.पी. / शोध / वित्त एवं लेखा / विश्वविद्यालय अभियन्ता / ए.एल.आर. को निर्देश है कि उच्च शिक्षा विभाग(ग्रुप–4), राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में अंकित विवरण के अनुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही नहीं बरती जाये अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।
7. वित्त नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि.,जयपुर।
8. नोडल अधिकारी (विधानसभा प्रकोष्ठ) रा.वि.वि.,जयपुर को निर्देश है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन समस्त प्रक्रिया का संचालन एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि.,जयपुर।
11. रक्षित पंजिका।

12/03/2021

(के.एम.दूड़िया)

कुलसचिव